न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट भोगनीपुर, कानपुर देहात।

उपस्थितः राशि तोमर (उ०प्र० न्यायिक सेवा) ID NO. UP 2540

मुकदमा सं०–1136/2022

सरकार बनाम नंदकिशोर उर्फ नंदू।

<u>आदेश</u>

10/10/2022

अभियुक्त नंदकिशोर उर्फ नन्दू की ओर से मुकदमा सं०–1136/2022 अंतर्गत धारा– 504,506 I.P.C थाना राजपुर जिला कानपुर देहात में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त आत्मसमर्पण कर न्यायिक अभिरक्षा में है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अभियुक्त निर्दोष है, उसे जमानत पर रिहा किया जाये।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी की आख्या के अनुसार अपराध गैर जमानतीय है। जमानत का प्रबल विरोध किया जाता है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त का जमानत का आधार पर्याप्त है। अभियुक्त की ओर से बीस हजार रुपये की दो जमानते तथा इतनी ही धनराशि का निजी बंधपत्र निष्पादित करने पर जमानत पर रिहा किया जाये।

राशि तोमर
सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट
भोगनीपुर, कानपुर देहात।
ID NO. UP 2540